राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

राजस्व विभाग

तारांकित प्रश्न संख्या : 14

दिनांक 06.06.2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम : मान्नीय विधायक सुश्री भावना गौड जी

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–खण्डों का आबंटन किया गया था;	गाँव पालम में 20 सूत्रीय के अन्तर्गत उपलब्ध प्रस्ताव रजिस्टर के अनुसार 19–02–77 को 824 व्यक्यिों को प्लाट देने का प्रस्ताव था। जो कि 24–10–77 को निदेशक (पंचायत) के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया जैसा कि 15–02–78 व 26–02–78 के प्रस्ताव रजिस्टर में दर्ज है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आवंटन नहीं किया जा सकता। अतः नियमानुसार यह प्रस्ताव वैध आवंटन का प्रमाण नहीं है।
ख)	इन आबंटनों का आबंटियों के नाम व जिन स्थानों पर ये आबंटन किए गए, सहित पूर्ण विवरण क्या है;	गाँव पालम के प्रस्ताव रजिस्टर के अनुसार दिनांक 25–05–76 के अनुसार भूमि वितरण कमेटी द्वारा कुछ व्यक्तियों को रिहायशी प्लॉट देने के लिए एक सूची अलग से पट्टा रजिस्टर में दी गयी है।
ग)	वर्तमान में इन भू–खण्डों की संख्या क्या है;	भूखण्डों के सम्यक रूप से चिन्हित न किए जाने के कारण यह कह पाना संभव नहीं है।
घ)	क्या यह सत्य है कि इन भू–खण्डों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया गया है;	
ड)	क्या यह भी सत्य है कि इन भू–खण्डों पर व्यवसायिक गतिविधि चलाई जा रही है;	
च)	यदि हां, तो क्या इन भू–खण्डों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण व व्यवसायिक गतिविधियों की इजाजत है;	
छ)	यदि नहीं तो इन गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है;	
ज)	क्या इन भू–खण्डों के मालिकाना हक स्थानांतरित किए जा सकते हैं; और	नियमानुसार ग्राम सभा का कोई भी आवंटन हस्तांतरण नहीं होता है।
झ)	यदि हां, तो इसकी क्या प्रकिया है?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

विकासपाड़ 6/6/2018

उप मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)